संख्या-10/2020/एम.एस.-41/52-4-2017

प्रेषक,

दीना नाथ
उप सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2017**

विषय : अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-MISC/DL/3/2015, दिनांक 10.11.2017 जो अलपसंख्यक वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के दृष्टिगत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभान्वित होने हेतु अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने में आ रही कठिनाईयों से सम्बन्धित है, के संलग्न छायाप्रति संलग्न का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-217, दिनांक 27.01.2014 के अनुसार छः समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अल्पसंख्यक अधिसूचित समुदाय के सदस्यों को प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने में आ रही कठिनाई का निराकरण करते हुए इसके सरल एवं शीघ्र निर्गमन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके लिए संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
(दीना नाथ)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in